(12)

गोरखनाथ (भा०प्र०से०)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई०डी०-divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांक–01/क्षे0स्था0–03–10/2022......3390

प्रेषक,

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज।

पूर्णिया, दिनांक 19/09/22

विषयः– **वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन हेतु प्रखंडों के रोकड़ पंजी की त्रैमासिक जाँच कराये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के स्तर से जिलान्तर्गत प्रखंडों को विभिन्न मदों में आवंटित राशि एवं व्यय को वित्त विभाग के निदेशों के अनुरूप रोकड़ पंजी में संधारित किया जाना है तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय किया जाना है ताकि वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन बना रहे। प्रखंडों में विभिन्न मदों में प्राप्त सरकारी राशि का संधारण रोकड़ बही में दर्ज तो किया जाता है, किन्तु उन पंजियों की विधिवत् एवं नियमानुसार जाँच नहीं हो पा रही है। जिससे सरकारी राशि के दुरूपयोग अपव्यय आदि की आशंका बनी रहती है। कहीं –कहीं यह भी पाया गया है कि लंबे अवधि तक रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया गया है। सामान्यतः सभी प्रखंडों में सरकार की एक बड़ी राशि अग्रिम के रूप में पड़ी हुई है पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसके समायोजन की सम्यक करवाई नहीं की जा रही है साथ ही काफी बड़ी राशि अभिश्रवों के रूप में पड़ी हुई है जिसके समायोजन हेतु भी समुचित कारवाई नहीं हो पा रही है। इस कारण वित्तीय प्रबंधन की गड़बड़ियो को रोकने हेतु इसका अनुश्रवण एवं जाँच आवश्यक है।

2. अतएव प्रखंड कार्यालयों में वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन बनाये रखने हेतु निम्न निदेश दिये जाते हैं:–

(i) प्रखंड कार्यालयों का नियमित निरीक्षण जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त/ अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से की जाय जिसमें उक्त कार्यालय के वित्तीय व्यवहारों एवं संधारण को अवश्य देखा जाय।

(ii) प्रखंडों के रोकड़ पंजी की विधिवत् जॉच त्रैमासिक रूप से निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन तथा जिला लेखा पदाधिकारी से संयुक्त रूप से करायी जाय एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुकूल कारवाई की जाय।

(iii) प्रखंडों को समय–समय पर आवंटित राशि का प्रबंधन वित्त विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन अनुदेशों/नियमों/परिपत्रों के आलोक में कार्यान्वित कराना सुनिश्चित किया जाय।

(11)

(iv) यदि किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं किया जा रहा है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई की जाय।

3. अनुरोध है कि उपयुर्क्त दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाय एवं कृत कारवाई से अवगत कराने की कृपा की जाय।

18/9/22

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूणियाँ।

ज्ञापांक 3390 /सी0, दिनांकः— 19/09/22

प्रतिलिपिः—उप विकास आयुक्त, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—निदेशक डी0आर0डी0ए0, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/9/22

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूणियाँ।